तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/2025	पत्रावली पेश हुई बक्र. 37. । बहस प्रार्थनापत्र 212 RTA के तहत सुनी जा चुकी है। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी लवकुश नाबालिग की माता रेखा पत्नि पन्नीराम जाति जाटव निवासी लालहेरा को वली सरपरस्त बनाया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान, जो प्रार्थनापत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त पैत्रिक व पुश्तैनी आराजी है, जो प्रार्थी के बाबा हरीराम से विरासतन प्राप्त हुई पैतृक सम्पत्ति में प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित होता है। अतः संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी आराजी में प्रत्येक सदस्य का जन्म से अधिकार होता है। अतः प्रार्थी को भी खातेदार अधिकार जन्म से प्राप्त है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को खुर्द-बुर्द एवं बेचान करना चाहते है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार कर जारी [illegible] [illegible] से पाबंद करने की कृपा करें। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी वकील के कथन रहे कि प्रार्थीगण की ओर वली सरपरस्त माता रेखा को गलत बनाया गया है क्योंकि पिता के जीवित रहते पुत्र का हिस्सा निहित नहीं होता है तथा प्रार्थीगण लवकुश अपने पिता पन्नीराम के साथ रहते है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:53:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA के तहत
इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने की
कृपा करें।

हमने बहस को सुना, पत्रावली पर
उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया,
बहस पर मनन किया तो पाया कि
हिन्दू परिवार अधिनियम के अनुसार
परिवार के प्रत्येक ~~सदस्य~~ सहदस्य का हिस्सा
जन्म से पैतृक सम्पत्ति पर होता है।
चूंकि विवादित आराजी विरासतन प्रार्थी
के पिता को अपने पिता हरीराम से
प्राप्त हुई थी अतः पुश्तैनी आराजी पर
प्रार्थीगण के अधिकार जन्म से प्राप्त होते है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से
स्वीकार किया जाकर केवल प्रार्थीगणों के
हिस्से पर जारीशुदा स्थगन आदेश
29/11/2024 को दावा के निस्तारण तक
कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थी लवकुश पुत्र
पन्नीराम जाति जाटव निवासी तलहेरा का
हिस्सा पर ही जारीशुदा स्थगन आदेश को
दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]
कार्य की जाकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर [illegible]

Scanned with OKEN Scanner